न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व दरख्वास्त संख्या : 169/2010

सायलान :–

1.सम्पतराज पुत्र तुलछीराम
2.पारसमल पुत्र तुलछीराम
3.रामनिवास पुत्र तुलछीराम
4.पुरूषोतम पुत्र तुलछीराम
5.कपिलदेव पुत्र तुलछीराम
जतिया–ब्राह्मण, निवासी–फालका रोड, आ० कालू, तहसल–जैतारण जिला–पाली (राजस्थान)

बनाम

गैरसायलगण :–

1. नेमीचन्द्र पुत्र भागीरथ के
कायम मूकामः–
1/1 कैलाशचन्द पुत्र नेमीचन्द
1/2 महावीर पुत्र नेमीचन्द
1/3 ओमप्रकाश पुत्र नेमीचन्द
1/4 रामप्यारी पत्नि नेमीचन्द
1/5 सारदा पुत्री नेमीचन्द
1/6 छोटिया पुत्र नेमीचन्द
2. मोहनलाल पुत्र शंकरलाल
के कायम मूकामः–
2/1 सावरलाल पुत्र मोहनलाल
3. मोतीलाल पुत्र शंकरलाल
4. चम्पालाल पुत्र शंकरलाल फौत
के कायम मुकाम :–
4/1 मूलचन्द पुत्र चम्पालाल
5. सत्यनारायण पुत्र शंकरलाल
जातियान–ब्राह्मण, निवासी–आ०कालू
तहसील–जैतारण, जिला–पाली
6. उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू: 30/12/2010

उपस्थितः– 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, सायल।
2. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, गै0सा0।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 14/07/2015

वकील मय सायलान ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा–आ0कालू–प्रथम, तहसील–जैतारण में सायलान की पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी व कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1762 रकबा 3 किस्म गैरमुमकिन, खसरा नम्बर 1764 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा किस्म चाही प्रथम की आई हुई हैं, जिसकी चालू जमाबंदी व नक्शा ट्रेश इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं। आराजी को प्रार्थना पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। सायलान की वंशावली अनुसार मूल पुरूष धन्नाराम फौत का पुत्र जवारमल था। जवारमल के पुत्रगण भागीरथ (लाऔलाद फौत) व मूलचंद हुआ। मूलचन्द के पुत्रगण तुलछीराम व मदनलाल गोदपुत्र नाथूराम पुत्र पीरू के हैं। तुलछीराम के वारिसान सम्पतराज पारसमल रामनिवास पुरूषोतम व कपीलदेव हुए। उक्त वर्णित आराजी के सैटलमेंट के पूर्व में काबिज खातेदार काश्तकार भागीरथ पूत्र जवार वगैरह थे, जिनकी प्रविष्टि राजस्व रेकर्ड समंत 2008–2009 में की हूई हैं। खसरा नम्बर 1762 पहले खसरा नम्बर 1579 मीन था। इसी प्रकार खसरा नम्बर 1764 पहले 1579 था। उन बिना फसल बाजरी, गुजी, सायलान के पूर्वजों द्वारा बोई हुई थी। इसी के प्रमाण स्वरूप खतौनी मौजा आ0कालू परगना जैतारण, जोधपुर गवरमेन्ट सम्वत 1997 का रेकर्ड में इस वाद–पत्र के साथ प्रस्तूत हैं, जिसमें नम्बर सुमार खाता संख्या 740 में धूलचन्द ने भागीरथ बेटा जवार का दर्ज हैं तथा उक्त आराजी भी सायलान के पूर्वजो के नाम ही दर्ज है। वक्त सैटलमेंट के समय ही उक्त विवादित आराजी के काबिज खातेदार काश्तकार सायलान के पूर्वज पिता तूलछीराम व भागीरथ ही थे। काश्त भी तुलछीराम की दर्ज हैं, जिसके प्रमान राजस्व खसरा गिरदावरी सम्वत 2010 से 2013 में तूलछीराम वल्द भागीरथ, भागीरथ पुत्र जवारमल दर्ज है। जिसकी नकल साथ प्रस्तुत है। उन दिनो बोई गई फसल कपास, गुजी, लीला, वगैरा सायलान के पूर्वजो द्वारा बोया हुआ था। इसी माफिक खसरा गिरादावरी संवत 2017 से 2020 में उक्त आराजी में कब्जा काश्त सायलान के पिता तुलछाराम वगैरह का ही दर्ज हैं, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि इसके साथ ही पेश की है। उक्त वर्णित आराजी संवत 1996 के पूर्व ही सायलान के पिता पर पिता काबिज है व काश्त कर रहे हैं, लेकिन वक्त सैटलमेंट के समय सैटलमेंट के अधिकारीयों की गलती से उक्त आराजी भागीरथ पुत्र जवारमल के बजाय भागीरथ पुत्र रामलाल एवं शंकरलाल पुत्र शिवबक्ष मिश्रू वल्द रात जातियान ब्राह्मण के नाम दर्ज हो गये हैं। वास्तविकता में मौके पर इन तीनो व्यक्तियों के मौके पर कभी कब्जा व हक नही रहा था एक मात्र कब्जा व हक अधिकार सायलान व इनके पूर्वजों का ही हैं, जो मौके पर आज दिन तक कब्जा काश्त सायलान का ही हैं। इस आराजी में सायलान ने समय पर सुधार किया था मौके पर पक्की दिवारे बनी हुई तथा रहवासी कमरे बने हुए तथा पानी का होद बना हुआ हैं। जहा पर सायलान परिवार रह रहे है। उक्त खातेदारी आराजी का प्रयोग बतौर काश्त व रहवासी के रूप में कर रहे है। सैटलमेंट के समय भागीरथ वल्द रामलाल के नाम दर्ज हो गई थी, जो कालान्तर में उनके नाम ही चलती रही फौतेदगी म्यूटेशन के आधार पर गैरसायलान के नाम दर्ज हो गये। जिसके परिणाम स्वरूप जमाबंदी 2021–2024, 2025–2028, 2029–2032, 2033–2036, 2037–2040, 2042–45 की इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। विवादित आराजी के एक मात्र खातेदार काश्तकार सायलान ही हैं। सायलान के अलावा अन्य किसी का भी कभी भी कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

काश्त हक अधिकार नहीं रहा हैं। सैटलमेंट विभाग के अधिकारियों की गलती से उक्त आराजी गैरसायलान के पूर्वजों के नाम गलत दर्ज हो गई थी, जिससे सायलान दूरूस्ती घोषणा के दुरूस्ती कराकर उक्त आराजी अपने नाम करवाने के अधिकारी हैं। माफिक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 63 के अनुसार सायलान अपने पूर्वजों के समय से उक्त आराजी कब्जा काश्त होने से खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने से यह वाद घोषणा विरूद्ध गैरसायलान पेश किया है। उक्त आराजी संमत 1996–1997 के समय से सायलान का कब्जा काश्त चला आ रहा विवादित आराजी पर पक्की दीवारे व रहवासी मकान बने हुए है। राजस्व रेकर्ड में उक्त आराजी गैरसायलान के नाम गलत दर्ज हो गई है। पूर्व में सायलान ने गलती दुरूस्त करवाने को कहा, लेकिन अब गैरसायलान की नियत में फर्क आ गया हैं। आराजी गैरसायलान हो जाने मात्र से गैरसायलान जबरदस्ती सायलान को बेखल कर अपने कब्जा करना चाहते है। इस आराजी को जरिये रहन वसीयत, अन्य हस्तान्तरण की भी चेष्ठा कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में दिनांक 10/12/2010 को गैरसायलान कैलाशचन्द्र ने मौके पर आकर सायलान कपिलदेव को एलानिया धमकी दी कि आप सभी लोग यहा से चले जाओ व मकान खाली करदो। उक्त आराजी राजस्व रेकर्ड में हमारे पूर्वजों के नाम हैं। इसलिये हम उक्त जमीन पर कब्जा करेगें तथा उक्त जमीन को बेचने बाबत खरीददारों से बात भी कर ली हैं। आप द्वारा कब्जा नही हटाने पर हम आपको जबरदस्ती हटा देंगे। गैरसायलान के सभी व्यक्ति बदमाश प्रवृति के व्यक्ति हैं, जो लाठी लकड़ी के बल पर सायलान को उक्त विवादित आराजी से बेदखल करने की चेष्ठा कर रहे हैं, जबकी गैरसायलान को ऐसा करने का कोई वैधनिक अधिकार प्राप्त नही है सायलान सभी नौकरी पेश करने वाले कानून को मानने वाले सिधे–साधे व्यक्ति हैं। जिन्हें उक्त विवादित आराजी से यदि बेदखल कर दिया जाता है तो सायलान हमेशा–हमेशा के लिये पैतृक पूश्तैनी आराजी से वंचित हो जायेगा सायलान को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर सम्भव नही है। सायलान गैरसायलान के अवैधानिक कृत्यो का विरोध करेगा जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में सायलान के पास यह प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रह जाने से यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का गैरसायलान के विरूद्ध पेश किया है। मौके पर सायलान का कब्जा काश्त व काश्त मौके पर है तथा सायलान के रहवासी मकान इत्यादि भी बने हुए हैं। उक्त कब्जा काश्त सायलान के पिता पर पिता के समय से होने से प्रथम दृष्टिया मामला भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित हैं। तथ्यों परिस्थितियों के आधार पर सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में हैं। यदि गैरसायलान अवैधानिक तरीके से सायलान को उक्त आराजी से बेदखल कर उक्त आराजी पर कब्जा जबरदस्ती कर आराजी किसी अन्य का बेचान, रहन, कर देंगे, तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में गैरसायलान सायलान को अदा नही कर सकेंगें उक्त आराजी पर सायलान का रहवासी मकान बना हुआ हैं। यदि गैरसायलान कानून हाथ में लेकर लाठी लकडी के बल पर सायलान को बेदखल कर देंगे, तो सायलान बेघर हो जायेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

इसलिये गैरसायलान के विरूद्व यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

सायलान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज फोलोअप केम्प राजस्व लोक न्यायालय हाजा में पेश हुई। गै0सा0 जबाब पेश करने का समय चाहते हैं। बार–बार समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। सायलान के पक्ष में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 30/12/2010 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो चुकी हैं। मौके की एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै0सा0 को पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि राजस्व मौजा–आ0कालू–प्रथम, तहसील–जैतारण में सायलान की पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1762 रकबा 3 किस्म गैरमुमकिन, खसरा नम्बर 1764 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा किस्म चाही प्रथम की मौके की एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै0सा0 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 30/12/10 को पाबन्द किया गया था, के आदेश को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 14/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–आ0कालू पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner